राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर

क्रमांक एफ.10( )(आम चुनाव)डीएलबी/21/ 3093 दिनांकः 24/11/2021

अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका,
सरमथुरा (धौलपुर)।

विषय :– वार्डो के प्रारूप के अनुमोदन पश्चात् अन्तिम प्रकाशन के संबंध मे।

....

नगरपालिका चुनावों के संदर्भ में आप द्वारा प्रेषित नगरपालिका सरमथुरा जिला धौलपुर के वार्डो का परिसीमांकन संबंधी प्रारूप एवं उन पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार के उपरान्त आप द्वारा प्रस्तावित वार्डो के परिसीमांकन प्रारूप को राज्य सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अनुसार इन आदेशों का प्रकाशन राजपत्र में कराये जाने हेतु इसे निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ भिजवाया जा रहा है। अतः चुनाव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जावे।

संलग्नः– 1. आदेश की प्रति।
2. प्रपत्र– क, ख, ग एवं नक्शा

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ.10( )(आम चुनाव)डीएलबी/21/ 3094–3100 दिनांकः 24/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, भरतपुर राजस्थान।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय जयपुर।
4. जिला कलक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी, धौलपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सरमथुरा (धौलपुर)को वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव का नियमानुसार मिलान किया जाकर राज. राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालना रिपोर्ट से सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय को शीध्र अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जावें ।
5. निदेशक/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज.जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु उक्त नगरीय निकाय के अनुमोदित आदेश मय प्रपत्र क, ख, एवं नक्शा की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

J. V. letter mu.

Scanned by TapScanner